न्यायालय ,भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 142 वर्ष 2016

आवेदक–धरमनाथ महतो
ग्राम – चिपरी टोला–+++
थाना –गोमिया जिला–बोकारो

क्रेता– टुपली देवी वगैरह
ग्राम –छोटकीसिधाबारा टोला– +++
थाना – गोमिया जिला– बोकारो

की क्र0 व तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख व साथ।
01	02	03

आदेश

14.07.17

यह वाद आवेदक धरमनाथ महतो पिता स्व0 पच्चु महतो निवासी ग्राम चिपरी थाना गोमिया हाल चतरोचटटी, जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
चिपरी	05	86	1930	27 डी0	6 3/4 डी0	आ0 योग्य
		17	1931	18 डी0	4½ डी0	आ0 योग्य

को वे मकान बनाने तथा महाजन देने हेतु मो0 1,00000/– (एक लाख) रूपये में क्रेतागण–टुपली देवी पति तुलसी महतो, मुरली महतो पिता झरी महतो ग्राम छोटकीसीधाबारा, थाना –गोमिया हाल चतरोचटटी जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख)/ के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 459 रा0, दिनांक 28.08..2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 867 दिनांक 05.10.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है किः–

01. बिक्रेता एवं क्रेतागण दोनो कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम चिपरी एवं केतागण ग्राम–छोटकीसिधाबारा तथा एक ही थाना–गोमिया ज़िला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में देवु कुर्मी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी उदैय कुर्मी वगैरह के नाम से पंजी–II में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि खतियान द्वारा हासिल है।
03. खतियानी रैयत से बिकेता का संबंध परपोता का है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज देवु कुर्मी के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी उदैय कुर्मी वगैरह के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है,

तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता– देवु कुर्मी के नाम सर्वे खतियान की छायाप्रति तथा उदैय कुर्मी वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– शपथ प्रमाण पत्र एवं खतियान की छायाप्रति तथा स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेतागण दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक धरमनाथ महतो पिता स्व0 पच्चु महतो ग्राम चिपरी थाना गोमिया हाल चतरोचटटी जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
चिपरी 05	86	1930	27 डी0	6 3/4 डी0	नीज लेख्यकारी	रास्ता	रास्ता	बुटा रविदास वाके
	17	1931	18 डी0	4½ डी0	भोला महतो	नीज लेख्यकारी	परती कदीम	धान छेदी महतो वाके
11¼ डिसमिल जमीन मात्र।								

मो0 1,33,000/-(एक लाख तैंतीस हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेतागण– टुपली देवी पति तुलसी महतो, मुरली महतो पिता झरी महतो ग्राम छोटकीसिधाबारा थाना –गोमिया हाल चतरोचटटी जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

14/07/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

14/07/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 06:58:33 -08:00
Location: 192.168.1.35